पीपुल्स समाचार peoplesupdate.com
जगदलपुर/बीजापुर/सुकमा/दंतेवाड़ा/कोंडागांव/नारायणपुर/कांकेर
रायपुर, गुरुवार 20 अगस्त 2026

न्यूज ब्रीफ

फरसीगांव के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण सब कुछ मिला चकाचक

बकावंड। प्रशासनिक अमले एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फरसीगांव स्थित शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में एसडीएम नितीश वर्मा, तहसीलदार सुनील ध्रुव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक सोनसिंह कश्यप तथा संकुल समन्वयक रामलाल एवं दिलीप बैस शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शालाओं की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, साफ-सफाई एवं विभिन्न अभिलेखों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण में विद्यालयों की व्यवस्थाएं संतोषजनक एवं व्यवस्थित पाई गईं।निरीक्षण के दौरान सभी शालाओं के प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं शिक्षक विद्यालय में उपस्थित पाए गए। विद्यालयों में संधारित विभिन्न पंजियों एवं रजिस्टरों की जांच की गई। सभी अभिलेख अद्यतन एवं व्यवस्थित पाए गए। अधिकारियों ने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से विषयवार प्रश्न पूछे। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्नों के सटीक एवं संतोषप्रद उत्तर दिए। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था उत्कृष्ट एवं संतोषजनक पाई गई। विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण से संबंधित कार्यों की भी अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई।बाउंड्री वॉल की मांग हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं बेहतर व्यवस्था के लिए बाउंड्रीवॉल निर्माण की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी गई।

पुलिस साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर दे रही सुरक्षा के मंत्र

जगदलपुर। साइबर जागृति अभियान के तहत पुलिस की ओर से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एसपी बस्तर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं पुलिस द्वारा आमजन को साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत थाना परपा पुलिस द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस क्रम में 18 अगस्त को विद्या ज्योति स्कूल, एवं क्राइस्ट कॉलेज, तथा दिनांक को नवीन महाविद्यालय, तोकापाल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में डीएसपी चंद्रहास सिन्हा एवं थाना प्रभारी थाना परपा निरीक्षक भोला सिंह राजपूत की उपस्थिति में विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई तथा साइबर ठगी से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए गएकार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों जैसे फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, फर्जी प्रोफाइल, सोशल मीडिया फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट एवं फर्जी लिंक के संबंध में जानकारी देकर लोगों से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की गई।

चिड़पाल में 10 साल बाद यदुवंशियों ने की सनातन धर्म में वापसी

जगदलपुर। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड की ग्राम पंचायत चिड़पाल में बस्तर जिला यादव समाज के तत्वावधान में 18 अगस्त को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सात लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर पुनः सनातन धर्म और अपने पारंपरिक सामाजिक रीति-रिवाजों को अपनाने की घोषणा की। यादव समाज ने इसे घर वापसी बताते हुए लौटे परिवार का स्वागत किया।कार्यक्रम में चैतूराम यादव, कमलू राम यादव, चमरीन यादव, कचरी यादव, आराधना यादव, वीरेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव शामिल रहे। समाज के पदाधिकारियों के अनुसार ये सभी करीब 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। घर वापसी के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन और शुद्धिकरण संस्कार कराया गया। धमार्चार्यों ने गायत्री मंत्र एवं गीता पाठ कराया और यादव समाज की पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाज तथा पूर्वजों की परंपराओं की जानकारी दी। इस अवसर पर बस्तर जिला यादव समाज के संरक्षक लच्छिन यादव, जिला अध्यक्ष सुकमन यादव, उपाध्यक्ष रघुवंश यादव और सचिव लखीराम यादव ने कहा कि धर्म संबंधी निर्णय व्यक्ति की अपनी इच्छा से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में लौटने वाले परिवारों का समाज की ओर से सम्मान और सहयोग किया जाएगा।इस दौरान भागीरथी यादव, परवेश यादव, संतोष यादव, बावडू यादव, तूलाराम यादव, रामधर यादव, सोंसाय यादव, उग्रसेन यादव, सिबो मरकाम मौजूद रहे।

जागरूकता कार्यक्रम में अंजरेल माइंस के मालवाहक वाहन चालकों एवं विद्यार्थियों को दी गई सड़क सुरक्षा की जानकारी

नारायणपुर जिले में हुई यातायात की पाठशाला अभियान की शुरूआत

पीपुल्स संवाददाता ● नारायणपुर
editor@peoplessamachar.co.in

पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार पटेल (भा.पु.से.) के निदेर्शानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस नारायणपुर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंजरेल माइंस के मालवाहक वाहन चालकों एवं शासकीय हाई स्कूल नेलवाड़ के छात्र-छात्राओं के लिए यातायात की पाठशाला अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों एवं विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
यातायात पुलिस नारायणपुर द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों, संस्थानों एवं वाहन चालकों के बीच यातायात जागरूकता, सड़क सुरक्षा, पीएम राहत एवं राहवीर योजना के संबंध में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा का संदेश अपने परिवार एवं समाज तक पहुंचाने की शपथ दिलाई गई।

सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा का दिया संदेश

यातायात प्रभारी (रक्षित निरीक्षक) मो. मोहसिन खान द्वारा बताया गया कि सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन केवल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन की सुरक्षा के लिए किया जाना आवश्यक है।इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

पीएम राहत की दी गई जानकारी

सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने एवं समय पर उपचार तक पहुंचाने के महत्व को समझाया गया।
दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करने तथा आवश्यकता पड़ने पर 108 एंबुलेंस, डायल-112 एवं आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही राहवीर योजना के अंतर्गत मिलने वाली 25,000 की पुरस्कार राशि के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों एवं वाहन चालकों से अपील की गई कि वे राहवीर बनकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग करें।

अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं

पीपुल्स संवाददाता ● नारायणपुर
editor@peoplessamachar.co.in

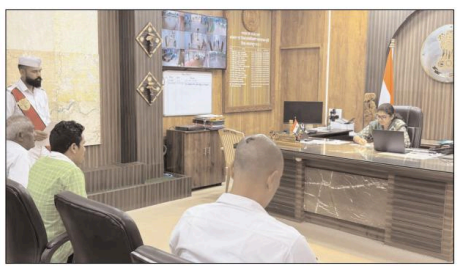

कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर नम्रता जैन ने जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचे नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। कलेक्टर ने नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा।जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, शिक्षा, आवासीय सुविधाओं, छात्रावास, स्वास्थ्य, राजस्व, मुआवजा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। खड़ीबहार निवासी प्रितम उर्वशा ने पुल निर्माण कार्य की राशि नहीं मिलने की समस्या रखी। ग्राम पंचायत गुदाड़ी एवं जबगुण्डा के ग्रामीणों ने विद्युत स्वीकृति तथा पुलिया निर्माण की मांग की। वहीं ग्राम पंचायत टेमरूगांव की ओर से द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण, पदनार तक मिट्टी-मुरूमीकरण, नियमित कक्षा संचालन के लिए प्रधान पाठक की नियुक्ति तथा पदस्थ प्रधान अध्यापक के विरुद्ध शिकायत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। जनदर्शन में शिक्षा से जुड़े कई आवेदन भी प्राप्त हुए। ग्राम अंजरेल के ग्रामीणों ने शिक्षक व्यवस्था, तारागांव प्राथमिक शाला में शिक्षक की व्यवस्था तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुलेंगा की छात्राओं ने निर्धारित मीनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की मांग रखी। जनपद सदस्य यशबती मांझी ने छात्रावास, शिक्षक क्वार्टर और स्थानीय अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने का आवेदन दिया। टिमनार के ग्रामीणों ने नाउमुंजमेटा मार्ग पर निर्मित पुलिया के आवागमन को सुचारू करने के लिए मुरूम डालने तथा रेत-मिट्टी कार्य में बकाया मजदूरी भुगतान की मांग रखी। मंजुला मंडल ने कैंसर पीड़िता महिला को प्रतिमाह रायपुर अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए जाने हेतु बस किराया उपलब्ध कराने की मांग की। सर्व आदिवासी समाज नारायणपुर ने नवीन एवं पुराने मंडी प्रांगण में शेड/दुकानों की नीलामी में एसटी, एससी और ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की मांग रखी। वहीं मुस्लिम जमातखाना सामुदायिक भवन की भूमि को राजस्व अभिलेख में मुस्लिम समाज के नाम दर्ज करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा किसानों ने बेनूर में उप सहकारी बैंक शाखा खोलने, ब्रेहबेड़ा के ग्रामीणों ने बाढ़ मुआवजा देने तथा कुम्हली के ग्रामीणों ने बाउंड्रीवाल निर्माण की मांग रखी।

जनदर्शन में स्वास्थ्य एवं सामाजिक हित से जुड़े आवेदन भी सामने आए

सड़क एवं निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों में नयापारा वार्डवासियों ने मुक्तिधाम मार्ग पर सीसी रोड तथा जर्जर गलियों में बीटी सड़क निर्माण की मांग की। ग्राम पंचायत आतरगांव ने स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य के तहत पंचायत भवन के सामने नाली निर्माण तथा नवीन आंगनबाड़ी भवन की मांग रखी। ग्राम पंचायत सुलेंगा धौड़ाई ने नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति, जबकि ग्राम पंचायत कन्हारगांव ने आहरण निर्माण की स्वीकृति का आवेदन दिया। इसी तरह ग्राम पंचायत ताड़ोपाल ने आश्रित ग्राम खड़कागांव में तीन पुलिया स्वीकृत करने तथा ताड़ोपाल एवं समीपस्थ गांवों की वास्तविक ग्राम सीमा निर्धारित करने की मांग की। ग्राम पंचायत दण्डवन ने अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत, नवीन पुलिया की स्वीकृति तथा आश्रम दण्डवन के वर्तमान अधीक्षक को हटाने संबंधी आवेदन दिया।

बालको की उत्तरोत्तर प्रगति में महिला इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका

बालकोनगर। कभी मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग और तकनीकी भूमिकाओं को मुख्य रूप से पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ महिला इंजीनियरों ने इन धारणाओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी मजबूत पहचान बनाई है। बालको में महिला इंजीनियर आज उत्पादन, खनन, प्रचालन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। अपने तकनीकी कौशल, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प से वे कंपनी की उत्तरोत्तर प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।कार्यस्थल पर मशीनों और आधुनिक तकनीक के बीच जिम्मेदारी निभाने से लेकर टीमों का नेतृत्व करने तक, महिला इंजीनियरों ने साबित किया है कि क्षमता और सफलता की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती। चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए वे न केवल अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में आने वाली नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। उनकी सफलता की कहानियां बदलती मेटल इंडस्ट्री की उस तस्वीर को सामने लाती हैंए जहां प्रतिभा, कौशल और नेतृत्व ही पहचान का आधार हैं।

सेवा सेतु जरूरतमंदों के लिए बना भरोसे का सहज माध्यम

पीपुल्स संवाददाता ● कोरबा
editor@peoplessamachar.co.in

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सेवा सेतु केंद्र नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं को सरल, सहज और सुगम बनाने की दिशा में प्रभावी माध्यम बन रहा है। एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की सुविधा और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं की उपलब्धता से नागरिकों को सुविधा मिल रही है।इसके माध्यम से जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल शासन की सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने के साथ ही उनके समय और प्रयास की बचत में सहायक बन रही है। सेवा सेतु की सफलता उन नागरिकों के अनुभवों में भी दिखाई दे रही है, जिन्हें आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त हो रहे हैं और उनके कार्य आसानी से पूरे हो रहे हैं। ग्राम ढेगूरडीह, तहसील भैंसमा निवासी जग्गू राठिया के बच्चों उमा और हेमलता के लिए जाति, निवास आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी।

कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाएं, लोगों को बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध हो : एसपी

अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की व्यापक समीक्षा

पीपुल्स संवाददाता ● नारायणपुर
editor@peoplessamachar.co.in

जिला नारायणपुर में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आमजन को बेहतर एवं त्वरित पुलिसिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई।बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में अपराध एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की थाना-वार एवं बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित अपराध, लंबित शिकायतें, मर्ग, चालान, लंबित विवेचनाएं, गिरफ्तारी की स्थिति, फरार आरोपियों की पतासाजी, स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामिली तथा गंभीर अपराधों में की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक ने गंभीर एवं लंबित अपराधों की विवेचना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विवेचना में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग करने, घटनास्थल से साक्ष्य सुरक्षित करने तथा अभियोजन की दृष्टि से मजबूत केस डायरी एवं दस्तावेज तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम सहित अन्य गंभीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा की गई।

डीएमएफटी की पहल, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को मिला संबल

कोरबा । खनिज संपदा से प्राप्त संसाधनों का उपयोग जनकल्याण और समग्र विकास के लिए करने की दिशा में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) कोरबा द्वारा निरंतर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए डीएमएफ के सहयोग से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव जिले के दूरस्थ एवं आवश्यकता वाले क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।जिले के शिक्षक-विहीन एवं शिक्षक-कमी वाले प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था के लिए डीएमएफटी द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस पहल से उन विद्यालयों में नियमित कक्षाओं के संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थाको मजबूती मिल रही है।,

---

मुसीबत, खेत में तब्दील सड़क से ग्रामीण बेहाल, ठेकेदार की गंभीर लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ग्रामीणों को

भिरलिंगा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कीचड़ से सराबोर

पीपुल्स संवाददाता ● बकावंड
editor@peoplessamachar.co.in

बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरलिंगा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क बारिश के मौसम में बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है कि कई स्थानों पर सड़क खेत और दलदल में तब्दील नजर आ रही है। कीचड़ के कारण ग्रामीणों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है, वहीं दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण और रखरखाव में ठेकेदार की गंभीर लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की खराब स्थिति की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों को दी गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी अधिकारियों को फोन के माध्यम से कई बार सूचना दी। करीब एक सप्ताह पहले भी सड़क की स्थिति से विभाग को अवगत कराया गया था। तब ग्रामीणों को बताया गया था कि जल्द वाहन भेजकर सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन सप्ताहभर से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो कोई विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही ठेकेदार द्वारा सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस पहल की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के कुछ हिस्सों में मिट्टी डालकर सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन उचित तकनीकी व्यवस्था और जल निकासी के अभाव में बारिश के बाद वही मिट्टी कीचड़ और दलदल में बदल गई। इससे सड़क पर वाहन फंसने और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ गया है।ग्रामीणों का सवाल है कि यदि बारिश के मौसम में सड़क सुधार के नाम पर केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाएगा तो ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा कैसे मिलेगी? ग्रामीणों ने सड़क की तकनीकी जांच कराने तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से मरम्मत कराने की मांग की है।ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को लेकर एक और गंभीर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि निर्माण स्थल पर आज तक आवश्यक साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया है।

अधिकारियों ने सरपंच की सूचना को नजरअंदाज किया

ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई बार फोन कर सड़क की स्थिति की जानकारी दी। इसके बावजूद अब तक कोई विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद यदि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार एक बार मौके पर आकर स्थिति देख लेते तो समस्या का समाधान काफी हद तक हो सकता था। मामले में एक व्यक्ति द्वारा विभागीय इंजीनियर से फोन पर सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बातचीत के दौरान इंजीनियर ने सड़क की स्थिति के लिए सरपंच द्वारा ही रास्ता खुदवाए जाने की बात कही।

> सरपंच ने डलवाई है मिट्टी
> विभाग द्वारा सही तरीके से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, किंतु सरपंच द्वारा मिट्टी डलवाने से बरसात में सड़क कीचड़ हो गया है, फिर भी हम सड़क की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।
> -इंद्रदेव मिश्रा,
> इंजीनियर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

IndusInd Bank क्षेत्रीय कार्यालय : 3ए अपर वुड स्ट्रीट ब्रांच, प्रथम मंजिल, सावित्री टॉवर, कोलकाता-700017

परिशिष्ट- IV-ए
[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 (6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति, जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज किया गया था और जिसका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया था, उसे "जैसा है, जहां है" "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे बताई गई तारीख को बेचा जाएगा। यह बिक्री 31-07-2026 तक बकाया रु. 2,56,89,509.82/- (दो करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार पाँच सौ नौ रुपये और बयासी पैसे) और 01.08.2026 से अनुबंध दर पर अतिरिक्त ब्याज की वसूली के लिए की जाएगी। यह राशि इंडसइंड बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) को श्री पूरन दाल मिल (उधारकर्ता), श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल (गारंटर/स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी), श्रीमती मंजू अग्रवाल (गारंटर), श्री अक्षत अग्रवाल (गारंटर), स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल (गारंटर/गिरवी रखने वाले - जीवित रहने पर, और वर्तमान में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व), श्री बृजमोहन अग्रवाल (स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी), श्री विजय अग्रवाल (स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी), श्री योगेश अग्रवाल (स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी) और श्री यशवंत अग्रवाल (स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी) से वसूल की जानी है। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि और संपत्ति के निरीक्षण की तारीख नीचे बताई गई है।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	ज्ञात भार	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
वह पूरी प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल हाउस नंबर - 21/448 (नया म्युनिसिपल हाउस नंबर 17/575) है, जो आबादी सर्वे/खसरा नंबर-220 का हिस्सा है, जिसका कुल एरिया 5612 वर्ग फुट है (जिसमें उस पर बना निर्माण भी शामिल है), और जो रामसागर पारा, रायपुर खास,पीएच नंबर - 106-N62, R.I.C.-रायपुर-1, तहसील और जिला - रायपुर (C.G.) में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ (सेल डीड के अनुसार) इस प्रकार हैं: उत्तर में: गली के बाद गणपतलाल पुरुषोत्तमदास का घर, दक्षिण में: गली के बाद विक्रेता का घर, पूर्व में: बिसनलाल और विक्रेता का घर, पश्चिम में: सड़क। *** प्रॉपर्टी का विवरण/जानकारी उस सेल डीड में विस्तार से दी गई है जिसे 30.03.1981 को रायपुर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में बुक नंबर ए-1, वॉल्यूम नंबर 7162 में सीरियल नंबर 15041 पर श्री रामजी लाल अग्रवाल के नाम से रजिस्टर किया गया था (चूंकि श्री रामजी लाल अग्रवाल अब जीवित नहीं हैं, इसलिए उनके कानूनी वारिस - श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री विजय अग्रवाल, श्री योगेश अग्रवाल और श्री यशवंत अग्रवाल - उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं)।	NIL	₹ 3,01,70,000/- (तीन करोड़ एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)	₹ 30,17,000/- (तीस लाख सत्रह हजार रुपये मात्र)

नीलामी की तिथि और समय	30-09-2026 (10:00 am till 11:00 am)
ऑनलाइन नीलामी वेबसाइट	https://www.bankeauctions.com
ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	29-09-2026
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	Rs. 1,00,000/- only
इच्छुक खरीदारों के लिए संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	14-09-2026 (11:00 am till 01:00 pm)
संपर्क विवरण अधिकृत अधिकारी	Mobile No. 9874438785 Email: rohit.swaroop@indusind.com

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के तहत बिक्री के लिए वैधानिक 30 दिन का नोटिस

उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर इसे 30 दिनों की बिक्री सूचना के रूप में मान सकते हैं। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को इस बिक्री सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऊपर बताए अनुसार अपनी देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने और सुरक्षित परिसंपत्तियों पर बंधक को भुनाने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर सुरक्षित परिसंपत्तियों को ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा।

दिनांक : 20.08.2026
स्थान : रायपुर

अधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लि.